न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम

उपस्थितः— सुरेश कुमार सिंह — II

निर्णय की तिथिः— 26.03.2026

सत्र वाद संख्या— 246 / 2023

C.I.S No.- 246/2023

प्रथम ईतला रिर्पोट संख्या— 03 / 2022 थाना— महिला थाना, जिला— किशनगंज।

सूचिका — सरस्वती कुमारी, पिता— शंकर लाल मिस्त्री, साकिन— सिसौना वार्ड नं0— 07, थाना— जोकीहाट, जिला— अररिया। .....अभियोजन।

द्वारा प्रस्तुति— श्री सोरेन प्रसाद साह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

अभियुक्तगणः—	1. कृष्ण कुमार कर्मकार, 2. गंगा कुमार कर्मकार, 3. तरूण कुमार कर्मकार, 4. मुकेश कुमार कर्मकार एवं 5. मधु देवी।
द्वारा प्रस्तुति—	विद्वान अधिवक्ताः— श्री इम्तियाज अली।

अपराध की तारीखः—	घटना की तिथि याद नहीं (जनवरी माह का महीना)
प्रथम ईतला रिर्पोट की तिथिः—	17.01.2022
आरोप पत्र समर्पित की तिथिः—	09.03.2022
आरोप गठन की तिथिः—	19.12.2023
धारा—313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः—	19.02.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः—	18.03.2026
निर्णय की तिथिः—	26.03.2026
दण्डादेश की तिथिः—	

Accused Details:-

Rank of the Accused	A-1
अभियुक्त का नाम एवं पताः—	1. कृष्ण कुमार कर्मकार, पिता— स्व0 इन्द्र मोहन कर्मकार, साकिन— काठामाठा, थाना— कोचाघामन, जिला— किशनगंज।
आत्मसमर्पण / गिरफ्तारी की तिथिः—	14.02.2022
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः—	14.03.2022
चार्जः—	U/S- 341/34, 504/34, 506/34 of IPC
दोषमुक्त या दोषसिद्धः—	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः—	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-2
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	2. गंगा कुमार कर्मकार, पिता– स्व0 इन्द्र मोहन कर्मकार, साकिन– काठामाठा, थाना– कोचाघामन, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	04.03.2023
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	04.03.2023
चार्जः–	U/S- 341/34, 504/34, 506/34 of IPC
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-3
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	3. तरूण कुमार कर्मकार, पिता– स्व0 इन्द्र मोहन कर्मकार, साकिन– काठामाठा, थाना– कोचाघामन, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	04.03.2023
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	04.03.2023
चार्जः–	U/S- 341/34, 504/34, 506/34 of IPC
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-4
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	4. मुकेश कुमार कर्मकार, पिता– स्व0 सीताराम कर्मकार, साकिन– काठामाठा, थाना– कोचाघामन, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	04.03.2023
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	04.03.2023
चार्जः–	U/S- 376, 341/34, 504/34, 506/34 of IPC
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C	

विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-5
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	5. मधु देवी, पति– स्व0 सीताराम कर्मकार, साकिन– काठामाठा, थाना– कोचाघामन, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	04.03.2023
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	04.03.2023
चार्जः–	U/S- 341/34, 504/34, 506/34 of IPC
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
P.W- 1	शंकर लाल मिस्त्री	अन्य साक्षी
P.W- 2	XYZ	पीड़िता सह सूचिका साक्षी
P.W- 3	रीता देवी	अन्य साक्षी
P.W- 4	शीला देवी	अन्य साक्षी
P.W- 5	शंकर कुमार कर्मकार	अन्य साक्षी
P.W- 6	विजय पासवान	अनुसंधानकर्ता साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u>**

		चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।
N.A	N.A	N.A

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
01	प्रदर्श– P-1/PW-2	फर्द बयान पर साक्षी का हस्ताक्षर।
02	प्रदर्श– P-2/PW-6	पृष्ठांकन।

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्त 1. मुकेश कुमार कर्मकार के विरूद्ध धारा 376, 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. एवं अन्य अभियुक्तगण 1.कृष्ण कुमार कर्मकार, 2. गंगा कुमार कर्मकार, 3. तरूण कुमार कर्मकार एवं 5. मधु देवी के विरूद्ध धारा 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है जिसे अभियुक्तगण ने इन्कार किये तथा विचारण का दावा किये।

2. सूचिका द्वारा दिये गये फर्द बयान के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि सूचिका सह पीड़िता अपने मौसा शंकर कुमार कर्मकार के यहॉ गई हुई थी। वहां इनके मौसा का भगीना मुकेश कुमार कर्मकार भी रहता था। दोनो के बीच प्रेम प्रसंग हुआ तथा शादी का प्रलोभन देकर अभियुक्त शंकर कुमार कर्मकार ने पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया। जब अभियुक्त पीड़िता से शादी करने से मना कर दिया उसके बाद पंचायती हुई लेकिन शादी के इनकार किया तब यह केस हुआ। उसके पश्चात् सूचिका सह पीड़िता द्वारा दिये गये बयान के आधार पर महिला थाना कांड संख्या– 03/2022 अन्तर्गत धारा 341, 376, 504, 34 भा.द.वि. में दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. मुकेश कुमार कर्मकार के विरूद्ध धारा 376, 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. एवं अन्य अभियुक्तगण 1.कृष्ण कुमार कर्मकार, 2. गंगा कुमार कर्मकार, 3. तरूण कुमार कर्मकार एवं 5. मधु देवी के विरूद्ध धारा 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 12/2022 दिनांक 09.03.2022 को विद्वान एस.डी.जे.एम., प्रभारी, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् सत्र न्यायालय में सत्र वाद दर्ज हुआ तथा वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय मे स्थानान्तरीत किया गया। दिनांक 19.12.2023 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त 1. मुकेश कुमार कर्मकार के विरूद्ध धारा 376, 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. एवं अन्य अभियुक्तगण 1.कृष्ण कुमार कर्मकार, 2. गंगा कुमार कर्मकार, 3. तरूण कुमार कर्मकार एवं 5. मधु देवी के विरूद्ध धारा 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. में आरोप का गठन कर गठित आरोपों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे वे इंकार किये एवं विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में कुल 06 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 शंकर लाल मिस्त्री, अभियोजन साक्षी संख्या 02 सूचिका सह पीड़िता, अभियोजन साक्षी संख्या 03 रीता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 04 शीला देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 05 शंकर लाल कर्मकार एवं अभियोजन साक्षी संख्या 06 विजय पासवान (अनुसंधानकर्ता) हैं।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में फर्द बयान पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– P-1/PW-2 एवं पृष्ठांकन को प्रदर्श– P-2/PW-6 अंकित किया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2026 को अभियुक्तों का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किये तथा अपने को निर्दोष बताये।

8. बचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

<u>मन्तव्य</u>

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 06 साक्षियो का साक्ष्य कराया है जिसमे सर्वप्रथम मामले की सूचिका सह पीड़िता के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 Xyz (सूचिका सह पीड़िता) इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि घटना के सम्बन्ध मे दिये गये फर्द बयान मे इनका हस्ताक्षर है जिसे पहचान किये है जिसे प्रदर्श– P-1/PW-2 अंकित किया गया है। आगे इन्होंने कहा है कि मौसी के भगीना मुकेश कुमार से इन्हें प्यार मोहब्बत था जब वह इनसे शादी नहीं किया तब ये केस की। अब इनकी शादी एक साल पहले मुकेश कुमार कर्मकार से हो गया है। आज अपने पति के साथ गवाही देने आई है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 03 मे इस साक्षी ने कहा है कि इन्होंने जिस फर्द बयान मे अपना हस्ताक्षर किया था उसको पढत्रकर इन्हें नहीं सुनाया गया था। कंडिका 04 मे इस साक्षी ने कहा है कि ये एक साल से अपने पति मुकेश कुमार कर्मकार के साथ उन्हीं के घर पर रह रही है। आगे

इन्होंने कहा है कि गलतफहमी मे केस हो गया है। अब ये अपनी पति के साथ खुशी से रह रही है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य मे काफी विरोधाभाष है जो अभियोजन केस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 01 शंकर लाल मिस्त्री है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि अभियुक्त मुकेश शादी करने से इन्कार कर रहा था तब केस किया गया था। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 03 रीता देवी है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि इनकी बहन की बेटी से इनके भगीना की शादी हो गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं जानते है। दोनो अच्छे से रह रहे है। प्रतिपरीक्षण मे इन्होने कहा है कि केस गलतफहमी मे किया गया था।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 04 शीला देवी है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि इनकी बेटी सरस्वती की शादी मुकेश के साथ हो गया है। मुकेश इनकी बेटी को अच्छा से रखता है। अब इन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है। प्रतिपरीक्षण मे इन्होने कहा है कि इनकी बच्ची की शादी मुकेश कुमार से 5–6 साल पहले हुआ था।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 05 शंकर कुमार कर्मकार है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि यह केस प्यार मोहब्बत से सम्बन्धित है। इनका भगीना मुकेश कुमार कर्मकार एवं लड़की सरस्वती कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग था। अब दोनो का शादी हो गया है। दोनो ठीक से रहता है। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि मुकेश कुमार कर्मकार की शादी लगभग तीन साल पहले हुआ था।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 06 विजय पासवान (अनुसंधानकर्ता) है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि ये दिनांक 17.01.2022 को महिला थाना, किशनगंज में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थे। उस दिन इनको महिला थाना के तत्कालीन थानध्यक्ष के द्वारा महिला थाना कांड संख्या 03/2022 दर्ज कर अनुसंधान का भार मुझे सौंपा गया। यह वही पृष्ठांकन है जो महिला थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पुष्पलता कुमारी के लिखावट एवं हस्ताक्षर मे है जिसे साक्षी देखकर पहचानते है। आवेदन पर पृष्ठांकन को प्रदर्श– P-2/PW-6 अंकित किया गया है। आगे इन्होने कहा है कि अनुसंधान का भार ग्रहण करने के उपरान्त प्राथमिकी का अवलोकन कर कांड दैनिकी मे अंकित किये। उसके पश्चात् वादी का पुनः बयान दर्ज किया। साक्षी– शंकर लाल मिस्त्री का बयान लिया। उसके पश्चात् घटना का निरीक्षण किया। इस कांड का घटना स्थल बिरनिया में वादिनी के मौसा का घर है। इसके पूरब श्याम नन्दन साह का परती जमीन है, पश्चिम सहन उसके बाद बहादुरगंज जाने वाल सड़क है, उत्तर में रमापति का परती जमीन एवं मकान है एवं दक्षिण में श्याम नन्दन साह का परती जमीन है। साक्षी– रिता देवी का बयान लिये। चिकित्सीय प्रतिवेदन प्राप्त कर कांड दैनिकी मे अंकित किये। दिनांक 02.02.2022 को पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0स0 माननीय न्यायालय मे कराया गया। उसके पश्चात् साक्षी शीला देवी का बयान दर्ज किया। दिनांक 14.02.2022 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका सफाई बयान लिया गया। दिनांक 20.02.2022 को एस.डी.पी.ओ. किशनगंज का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त कर कांड दैनिकी मे अंकित किया। उसके पश्चात् साक्षी शंकर कुमार कर्मकार, संतोष मिस्त्री का बयान दर्ज किये। दिनांक 09.03.2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय का प्रतिवेदन दो सह अंतिम आदेश प्राप्त हुआ। उसके पश्चात् आरोप

पत्र संख्या– 12/2022, दिनांक 09.03.2022 को अभियुक्त मुकेश कर्मकार, मधु देवी, गंगा कर्मकार, कृष्ण कुमार कर्मकार के विरूद्ध समर्पित किया गया। प्रतिपरीक्षण के दौरान इन्होने कहा है कि घटना के 5–6 दिन बाद अनुसंधान का भार मिला था। जिस दिन प्राथमिकी दर्ज हुई उसी दिन अनुसंधान का भार इन्हें मिला था। उसी दिन दिनांक 17.01.2022 को डायरी लिखना प्रारम्भ किये। डायरी में एस.डी. इन्ट्री नम्बर मैने दर्ज नहीं किये थे। घटना स्थल का विवरण केस डायरी के पारा 04 मे दर्ज किया हैं। मार्जिन मे समय अंकित किया है। घटना स्थल पर ये कितना घंटे तक रहे डायरी मे उल्लेख नहीं किये है। इस वाद से सम्बन्धित घटना स्थल से कोई बस्तु बरामद नहीं किये है। घटना स्थल के चौहददी के लोगों मे से किसी का बयान इन्होंने नहीं लिये है। घटना स्थल पर इन्होने कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किये थे। मैने चिकित्सीय प्रतिवेदन डॉक्टर से प्राप्त किया है एवं डायरी मे अंकित किये है जो कि घटना को समर्थन करता है। पीड़िता के शरीर पर कोई जख्म नहीं पाया गया है। कोई भी साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्त का सफाई बयान डायरी के पारा 41 मे लिखा है। जिन्होने कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया था तथा कहा था जो भी बयान देना है न्यायालय मे देंगे। प्राथमिकी मे पीड़िता की उम्र– 21 वर्ष बताया गया है।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियोजन द्वारा जितने भी साक्षियों की गवाही कराया है किसी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इस मामले मे दोनो पक्षो के बीच समझौता हो गया है। इस मामले मे पीड़िता की शादी अभियुक्त से शादी हो गयी है। अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हे दोषमुक्त किया जाए।

17. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत 06 साक्षियों मे से अभियोजन साक्षी संख्या 01 शंकर लाल मिस्त्री है इन्होंने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से इन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 इस मामले की पीड़िता है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कही है कि इस केस के अभियुक्त मुकेश कुमार से इन्हें प्यार–मोहब्बत था जब शादी करने से इनकार कर दिया तब केस कर दिये। अब इनकी शादी अभियुक्त मुकेश कुमार से हो गया है और ये उन्हीं के घर मे रहती है। फर्द बयान मे इन्होने सिर्फ अपना हस्ताक्षर की थी इन्हें फर्द बयान पढ़कर नहीं सुनाया गया है। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान कंडिका 06 मे कहा है कि यह मुकदमा गलतफहमी मे हो गया है। अब ये अपने पति के साथ खुशी से रह रही है। अभियोजन साक्षी संख्या 03 रीता देवी है इन्होने साक्ष्य के दौरान कही है कि इनकी बहन की बेटी से इनके भगीना का शादी हो गया है इसके अलावा और कुछ नहीं जानती है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 शीला देवी है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कही है कि इनकी बेटी सरस्वती की शादी मुकेश के साथ हुआ है। मुकेश इनकी बेटी को अच्छा से रखता है। अब इन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 05 शंकर कुमार कर्मकार है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि इनके भगिना मुकेश कुमार कर्मकार एवं पीड़िता के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनो की शादी हो गयी है। दोनो ठीक से रहते है। अभियोजन साक्षी संख्या 06 विजय पासवान (अनुसंधानकर्ता) है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि घटना स्थल पर कितने घंटे रहे डायरी मे उल्लेख नहीं किये है। इस वाद से सम्बन्धित घटना स्थल से कोई बस्तु बरामद नहीं किया था। घटना स्थल के किसी साक्षी का बयान इन्होंने नहीं लिया है। घटना स्थल पर इन्होंने कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य इन्होंने नहीं लिया है। इस मामले में पीड़िता की शादी अभियुक्त मुकेश कुमार कर्मकार के साथ हो गया है। दोनो साथ मे अच्छे से रह रहे है। अब पीड़िता को इनसे कोई

शिकायत नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

18. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्त 1. मुकेश कुमार कर्मकार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 376, 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. एवं अन्य अभियुक्तगण 1. कृष्ण कुमार कर्मकार, 2. गंगा कुमार कर्मकार, 3. तरूण कुमार कर्मकार एवं 5. मधु देवी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा धारा 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

अभियुक्त 1. मुकेश कुमार कर्मकार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 376, 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. एवं अन्य अभियुक्तगण 1. कृष्ण कुमार कर्मकार, 2. गंगा कुमार कर्मकार, 3. तरूण कुमार कर्मकार एवं 5. मधु देवी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 341/34, 504/34, 506/34 भा.द.वि. से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण तथा उनके प्रतिभुओ को उनके बंध पत्र के दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
किशनगंज
दिनांकः– 26.03.2026

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
किशनगंज
दिनांकः– 26.03.2026

Date of Judgment/Order	26-03-2026
Date of reserving judgment/order	18-03-2026
Uploading Date	01-04-2026
Uploaded by	Deposition Writer